


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-76/2019/ दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-द्वितीय ।

विषय:- नाम परिवर्तन बाबत ।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 518 दिनांक 07.08.18


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती आलि पी0सी0 महिला स्वास्थ्य दर्शिका का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तित कर श्रीमती आलि पी0सी0 के स्थान पर आलिस मैथ्यू पत्नि मैथ्यू पी0एम0 करने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन एवं प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के विज्ञापन जारी होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही नाम परिवर्तन किया जाना संभव हो सकेगा ।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-76/2019/ 484
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 9-1-2019

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर